UJ

राज्यपाल सचिवालय, बिहार

राजभवन, पटना–800022

अपीलीय प्राधिकार के समक्ष सूचना का अधिकार संबंधी अपील वाद
संख्या–73 (लो0सू0अ0)/2023–24

श्री राजेन्द्र कुमार अग्रवाल, पिता–स्व. दुर्गा प्रसाद खण्डेलिया, महात्मा गांधी पथ, कटिहार–854105

बनाम

लोक सूचना पदाधिकारी, राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना

आदेश की क्रम संख्या एवं तिथि	आदेश फलक	
30.08.2023	श्री राजेन्द्र कुमार अग्रवाल, पिता–स्व. दुर्गा प्रसाद खण्डेलिया, महात्मा गांधी पथ, कटिहार–854105 के माध्यम से एक प्रथम अपील आवेदन दिनांक–शून्य इस कार्यालय में दिनांक–30.08.2023 को प्राप्त हुआ है। उक्त अपील आवेदन के साथ शुल्क के रूप में 10/- रूपए का पोस्टल ऑर्डर संख्या–59F 919505 दिनांक–17.07.2023 संलग्न है। इसे लेखा शाखा को हस्तगत करायें। अपीलार्थी श्री राजेन्द्र कुमार अग्रवाल ने अपने अपील आवेदन में यह सूचित किया है कि उनके द्वारा दिनांक–20.07.2023 को सूचना अधिकार अधिनियम–2005 के अन्तर्गत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन लोक सूचना पदाधिकारी, राज्यपाल सचिवालय को दिया था, परंतु सूचना लोक सूचना पदाधिकारी द्वारा उपलब्ध कराई गयी सूचना से असंतुष्ट होने के फलस्वरूप प्रथम अपीलीय प्राधिकार, राज्यपाल सचिवालय के समक्ष प्रथम अपील दायर किया है। साथ ही श्री राजेन्द्र कुमार अग्रवाल उक्त अपील आवेदन के साथ प्रपत्र 'क' दिनांक–20.07.2023 की प्रति भी संलग्न किया है। लोक सूचना पदाधिकारी से उपर्युक्त प्रपत्र 'क' दिनांक–20.07.2023 से संबंधित अभिलेख की मॉग करें तथा अभिलेख पुनः सुनवाई हेतु दिनांक–21.09.2023 को उपस्थापित करें। सभी संबंधित को सूचित करें। 30/8/2023 विशेष कार्य पदाधिकारी –सह– प्रथम अपीलीय प्राधिकार ज्ञापांक- 1365/रा॰स॰(iii) दिनांक- 31-08-2023 प्रतिलिपि:-लोक सूचना पदाधिकारी, राज्यपाल सचिवालय, पटना/श्री राजेन्द्र कुमार अग्रवाल, पिता-स्व. दुर्गा प्रसाद खण्डेलिया, महात्मा गांधी पथ, कटिहार-854105 को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। आई.टी. प्रबंधक, एन.आई.सी., राजभवन, पटना को आदेश के प्रति अपलोड करने हेतु प्रेषित। 31/8/2023 विशेष कार्य पदाधिकारी	

अपील वाद संख्या—73 (लो०सू०अ०) / 2023--24

आदेश की क्रम संख्या एवं तिथि	आदेश फलक	
21.09.2023	दिनांक-30.08.2023 को पारित आदेश के क्रम में लोक सूचना पदाधिकारी का प्रतिवेदन प्राप्त है। प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार लोक सूचना पदाधिकारी, राज्यपाल सचिवालय द्वारा अपीलार्थी श्री अग्रवाल को उनके प्रपत्र 'क' दिनांक-20.07.2023 के क्रम में ये सूचित किया गया है कि उनके आवेदन दिनांक-09.06.2023 को विशेष कार्य पदाधिकारी, लोक शिकायत निवारण केन्द्र, सूचना भवन, पटना को आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजा जा चुका है। उक्त पत्र के साथ उन्हें भेजे गए पत्र की छायाप्रति भी संलग्न की है। विदित हो कि अपीलार्थी द्वारा प्रपत्र 'क' दिनांक-20.07.2023 के माध्यम से उनके द्वारा दिये गए आवेदन दिनांक-09.06.2023 पर की गयी कार्रवाई की सूचना की मांग की थी जो लोक सूचना पदाधिकारी द्वारा उपलब्ध करा दी गयी है। अपीलार्थी ने अपील आवेदन में यह उल्लिखित किया है कि वरीय पदाधिकारियों द्वारा शिकायत आवेदन पर सुनवाई नहीं की जा रही है। विदित हो कि सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना की मांग की जा सकती है न की शिकायतों का निपटरा - *'सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचना का प्रकटन किया जाना है तथा लोक प्राधिकारियों के नियंत्रणाधीन उपलब्ध सूचना को आम नागरिकों को हस्तगत कराया जाना है न कि किसी शिकायत का निपटारा अथवा उस पर जांचोपरान्त किसी प्रकार की कार्रवाई। केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली द्वारा आवेदन संख्या सी0आई0सी0/डब्लू0बी0/ए0/ 2006/00001 पर दिनांक 11.01.2006 को पारित आदेश के अनुसार 'यदि कोई व्यक्ति यह समझता है कि सूचना का अधिकार अधिनियम उसकी शिकायत के निवारण का एक यंत्र है तो यह सरासर उसका भ्रम है। कोई भी व्यक्ति जो इस अधिनियम के तहत सूचना प्राप्त करता है वह इसका प्रयोग इस प्रकार कर सकता है जिससे उसकी शिकायत दूर हो सके।'* उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में इस अपील पर किसी प्रकार की अग्रतर कार्रवाई की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। सभी संबंधित को सूचित करें। (ह०) 21/9/2023 विशेष कार्य पदाधिकारी -सह- प्रथम अपीलीय प्राधिकार	

ज्ञापांक- 1477/रा०स०(III) दिनांक- 22-09-2023

प्रतिलिपि:-लोक सूचना पदाधिकारी, राज्यपाल सचिवालय, पटना/श्री राजेन्द्र कुमार अग्रवाल, पिता-स्व. दुर्गा प्रसाद खण्डेलिया, महात्मा गांधी पथ, कटिहार-854105 को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

आई.टी. प्रबंधक, एन.आई.सी., राजभवन, पटना को आदेश के प्रति अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(ह०) 21/9/2023

विशेष कार्य पदाधिकारी